

## प्रेस नोट

### निःशक्तजन कल्याण आयुक्त श्री रजक ने महाकाल मन्दिर पहुंचकर दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया

उज्जैन 25 जनवरी। मंगलवार को मध्य प्रदेश शासन के निःशक्तजन कल्याण आयुक्त श्री संदीप रजक ने महाकाल मन्दिर पहुंच कर दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर दिव्यांगजनों को बाधारहित वातावरण और विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है।

आयुक्त श्री रजक द्वारा महाकाल मन्दिर में दिव्यांगजनों को भगवान महाकालेश्वर के दर्शन हेतु बनाई गई रैम्प रेलिंग और व्हील चेयर की उचित व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। इसके अलावा उन्होंने दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के सुगम आगमन हेतु टेक्सराईज्ड टाईल्स का अवलोकन किया। जो टाईल्स क्षतिग्रस्त हो गई थी उन्हें पुनः दुरुस्त करवाने के निर्देश दिये। महाकाल मन्दिर के प्रशासक श्री एसएस रावत द्वारा आयुक्त श्री रजक को बताया गया कि दिव्यांगजनों के लिये भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती में विशेष रूप से 20 सीटों का आरक्षण किया गया है। साथ ही सभी प्रवेश द्वारों को भी दिव्यांगजनों के लिये बाधारहित किया गया है, जिससे दिव्यांगजन सम्पूर्ण मन्दिर परिसर में आसानी से भ्रमण कर सकते हैं। आयुक्त श्री रजक द्वारा इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई।

इस दौरान संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण श्री सीएल पंथारी, अधीक्षक श्री घनश्याम भारती, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी श्री सुनील खुराना मौजूद थे। गौरतलब है कि बुधवार 26 फरवरी को आयुक्त श्री रजक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में आयोजित होने वाली कार्यशाला में भाग लेंगे।

(फोटो संलग्न)

एस. कुमार उज्जैनिया/ चित्रा काले